Satin Housing Finance Ltd.
THE ANSWER IS HOME

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः फ्लॉट संख्या 492, उद्योग विहार, फेज–3, गुरुग्राम, हरियाणा–122016
पंजीकृत कार्यालयः पाँचवीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर, नई दिल्ली–110033

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8–(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/ओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संबंधित उधारकर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।
उक्त उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इस तिथि को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किए गए लेन–देन पर सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार वास्ते राशि संबंधित तिथियों से पूर्ण भुगतान होने तक, अतिरिक्त ब्याज, लागत और शुल्क इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता का नाम और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना	बकाया राशि रु. में
1	**उधारकर्ताः मनोज, पिता भरत सिंह** **सह–उधारकर्ताः रेखा, पत्नी मनोज** **सभी निवासीः औरंगाबाद, मकान नंबर 23, मोहल्ला अजीजाबाद, उत्तर प्रदेश – 203401** **ऋण खाता सं. LABLS0524-00011345 और LABLS0123-00006854**	25.04.2026 08.07.2026 सांकेतिक	रु. 2,12,207.00 + रु. 3,82,490.00 = रु. 5,94,697.00/– (पाँच लाख चौरानवे हजार छह सौ सत्तानवे रुपये मात्र) 30.04.2026 तक

अचल संपत्ति का विवरणः– आवासीय प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 101.43 वर्ग गज अर्थात 84.86 वर्ग मीटर जो खसरा सं. 1839 में से स्थित है, मोहल्ला नई आबादी (नगर पंचायत की स्थानीय सीमा के अंतर्गत), कस्बा औरंगाबाद, परगना बरन, तहसील एवं जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएंः पूर्वः अन्य का प्लॉट (भुजा 35 फुट), पश्चिमः अन्य का प्लॉट (भुजा 35 फुट), उत्तरः 15 फुट चौड़ी सड़क (अर्थात 4.57 मीटर चौड़ी), भुजा 25 फुट 7 इंच, दक्षिणः राजवीर का खेत, भुजा 26 फुट 7 इंच, दिनांक 10.12.2018 को पुस्तक संख्या 01, वॉल्यूम संख्या 5417, पृष्ठ संख्या 317 से 334, विलेख संख्या 8799 में पंजीकृत

स्थानः उत्तर प्रदेश, तिथि : 14.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
(One Family One Bank)

अंचल कार्यालयः बी-192/ए, सेक्टर 52, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. - 201301
Email ID: recovery_nol@bankofmaharashtra.bank.in

[नियम - 8 (1)] कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

यतः अधोहस्ताक्षरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा धारा 13 की उप-धारा (12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांग सूचना दिनांक 02.05.2026 को जारी की गई थी, जिसमें ऋणी- 1. **M/s Dedha Metals**, मकान नं. 5, ग्राउंड फ्लोर, खसरा नं. 554 आसार मोहल्ला साबापुर, सरकारी पशु चिकित्सालय के पास, साबापुर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली- 110094 और साझेदार एवं जमानतदार- 2. श्रीमती सरिता पत्नी श्री मनीष, मकान नं. 31, स्ट्रीट नं. 1, गांव शेरपुर, करावल नगर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली- 110094, 3. श्री कपिल देधा पुत्र श्री राकेश, मकान नं. 32, स्ट्रीट नं. 1, गांव शेरपुर, करावल नगर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली- 110094, 4. श्री शेखर चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, मकान नं. 31, स्ट्रीट नं. 1, गांव शेरपुर, करावल नगर, ईस्ट दिल्ली- 110094 से रु. **91,56,049.00** (रूपये इक्यानवे लाख छप्पन हजार उनचास मात्र) तथा इस पर दिनांक 02.05.2026 से खाते में संविदात्मक दर से ब्याज, 2% दंडात्मक ब्याज एवं अन्य शुल्क/खर्चों सहित, उक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा करने की मांग की गई थी। उक्त सूचना ऋणी एवं जमानतदारों को बैंक को देय राशि के भुगतान के लिए डाक द्वारा भेजी गई थी।
ऋणी द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा ऋणी एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13.07.2026 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है।
ऋणी विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें। इस सम्पत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उपरोक्त वर्णित राशि के प्रभार के अधीन होगा।
बैंक के पास बंधक रखी गई एवं बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-
सम्पत्ति के मालिक का नाम: श्रीमती सरिता पत्नी श्री मनीष। सम्पत्ति का विवरण 1: भूमि/सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से का बंधक जिसमें खाली प्लॉट नं. 413, ब्लॉक ए, गली नं. 5 जो सोनिया विहार, शाहदरा के पास, दिल्ली 110094 में स्थित है। क्षेत्रफल: 200 वर्गगज। यह सम्पत्ति श्रीमती सरिता पत्नी श्री मनीष के नाम है। सीमाएँ:- उत्तर: अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: नवीन की सम्पत्ति, पूर्व: 18 फुट चौड़ी गली, पश्चिम: टोपी लाल की सम्पत्ति। CERSAI Asset ID- 200080201793

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 13.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी (कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र) नोएडा सेक्टर 19 शाखा**

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय I, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
हिताची रेल जीटीएस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में आरएएफ–सीएस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
("कंपनी) का पंजीकृत कार्यालय : टॉवर–बी, वर्ल्ड मार्क–1, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037 में स्थित है
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 06 जुलाई, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दनिदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
पंजीकृत कार्यालय : टॉवर–बी, वर्ल्ड मार्क–1, एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
कृत्ते की और से
हिताची रेल जीटीएस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में आरएएफ–सीएस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ताक्षर/–
निकिता पुगलिया
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 10066076
तिथि : 13.07.2026
स्थान : नोएडा

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-I, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)
और
के मामले में
एवेटा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1209, 12वां फ्लोर, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर वेस्ट, सेंट्रल दिल्ली–110008 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 22 सितम्बर, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.In) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय-I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
1209, 12वां फ्लोर, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, पटले नगर वेस्ट, सेंट्रल दिल्ली–110008
कृत्ते की ओर से
एवेटा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
शिखा अग्रवाल
दिनेशक
डीआईएन : 03405871
दिनांक : 13.07.2026
स्थान : दिल्ली

फॉर्म संख्या यूआरसी–2
अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के संबंध में सूचना देने वाला विज्ञापन
ख्कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार,

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2)** के अनुसरण में, रजिस्ट्रार,
दिल्ली के आरओसी और एनसीटी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मेसर्स ओम साई फार्मा पैक, एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग A के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
ए) कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज का निर्माण करना, जिसमें प्री–शेव, शेविंग और आफ्टर–शेव तैयारियों, व्यक्तिगत डिओडोरेंट्स और एंटीपर्सपिरेंट्स, सुगंधित स्नान लवण और अन्य स्नान तैयारियों, सौंदर्य या मेकअप तैयारियों, त्वचा देखभाल तैयारियों (औषधियों के अलावा), मैनीक्योर और पेडीक्योर तैयारियों आदि का निर्माण शामिल है।
बी) फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पदार्थों का निर्माण करना, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंडोक्राइन उत्पाद, मूल विटामिन, अफीम व्युत्पन्न पदार्थ, सल्फा दवाएं, सीरम और प्लाज्मा, सैलिसिलिक एसिड तथा उसके लवण और एस्टर, ग्लाइकोसाइड्स, वनस्पति एल्कलॉइड्स, रासायनिक रूप से शुद्ध शर्करा तथा इसी प्रकार के फार्मास्यूटिकल घटक शामिल हैं।
सी) वस्तुओं की पैकिंग के लिए प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करना, जिसमें प्लास्टिक बैग, बोरे, कंटेनर, बॉक्स, केस, कारबॉय, बोतलें तथा इसी प्रकार के प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद शामिल हैं।
डी) मेसर्स ओम साई फार्मा पैक, साझेदारी फर्म, जिसका पैन– AABF05340E है, जो फर्मों के रजिस्ट्रार, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ पंजीकृत है, **पंजीकरण संख्या (3245/2006) दिनांक 28.12.2006** के अंतर्गत, फॉर्म सी दिनांक **09.07.2026** द्वारा प्रमाणित, जिसका **प्रधान कार्यालय ए–2/155, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 तथा फैक्ट्री प्लॉट संख्या–38 एवं 39, सेक्टर–11,11E, SIDCUL,हरिद्वार, उत्तराखंड–249403 और प्लॉट संख्या–33, सेक्टर–11,11ई, SIDCUL, हरिद्वार, उत्तराखंड–249403** में स्थित है, के चल रहे व्यवसाय एवं संचालन को अधिग्रहित करना।

3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियमों की एक प्रति कार्यालय **ए–2/155, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058** पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर (पते) पर रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जाए।
दिनांक 13 जुलाई, 2026
आवेदकों का नाम
हस्ताक्षर/–
श्री अरुण कुमार वशिष्ठ।
हस्ताक्षर/–
श्री सिद्धार्थ वशिष्ठ।

फॉर्म जी
रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र में कार्यरत नोएडा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत)

प्रासंगिक विवरण

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम, पैन और सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित	**नोएडा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड** सीआईएनः U51109DL2000PTC106074 पैनः AABCN5276D
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	पार्श्वनाथ टॉवर, शहादरा मेट्रो स्टेशन के पास, शहादरा, दिल्ली : 110032
3	यूआरएल का वेबसाइट	कॉर्पोरेट देनदार की कोई वेबसाइट नहीं है
4	उस स्थान का विवरण जहाँ अधिकांश अचल संपत्तियाँ स्थित हैं	विवरण noidamarketingcirp@gmail.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
5	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कार्यरत नहीं
6	पिछले वित्त वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	लागू नहीं (क्योंकि सीडी कार्यरत नहीं है)
7	कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या	शून्य
8	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों के साथ), ऋणदाताओं की सूची सहित अन्य विवरण यूआरएल पर उपलब्ध हैं:	जानकारी के लिए noidamarketingcirp@gmail.com पर अनुरोध भेजा जा सकता है।
9	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध है:	जानकारी के लिए noidamarketingcirp@gmail.com पर अनुरोध भेजा जा सकता है।
10	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	29.07.2026
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	08.08.2026
12	अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने का अंतिम डेटा	13.08.2026
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	24.08.2026
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	29.08.2026
15	समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.09.2026
16	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी	noidamarketingcirp@gmail.com
17	कॉर्पोरेट देनदार की एमएसएमई के रूप में पंजीकरण स्थिति का विवरण	एमएसएमई के रूप में पंजीकृत

हस्ताक्षर/–
मनोज कुमार आनंद
आईपी पंजीकरण संख्याः –IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-18/10180
पंजीकृत पताः 2, कम्युनिटी सेंटर, तीसरी मंजिल, (पीवीआर/मैकडॉनल्ड के पास), नरैना, नई दिल्ली–110028
नोएडा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समाधान पेशेवर
दिनांकः 14.07.2026
स्थानः नई दिल्ली

Satin Housing Finance Ltd.
THE ANSWER IS HOME

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज–3, गुरुग्राम हरियाणा–122016
पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आज़ादपुर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, आज़ादपुर, नई दिल्ली–110033

कब्ज़ा–सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2022 (2002 का 54)के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता/ओं को यहां दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।
उक्त उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता राशि को चुकाने में विफल रहे हैं,उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2022 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस तिथि को कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर पूर्ण भुगतान तक संबंधित तिथियों से भावी ब्याज, लागत और प्रभार के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरणों,प्रतिभूतियों, बकाया देयताओं, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

क्रं सं.	उधारकर्ता,सह-उधारकर्ता का नाम और ऋण खाता सं.	मांग सूचना दिनांक/ कब्ज़ा दिनांक	बकाया राशि रु. में
1.	**उधारकर्ताः** सहीराम विश्नोई पुत्र नारायण राम, **सह–उधारकर्ताः** सीता देवी पत्नी सहीराम विश्नोई, **सभी निवासीः** विष्णु नगर, कपरडा, जोधपुर, राजस्थान – 342605 **ऋण खाता संख्याः** LAJDP0322–00004770	25.04.2026 08.07.2026 (सांकेतिक कब्ज़ा)	09.05.2026 तक रु.13,70,835.00/– (तेरह लाख सत्तर हजार आठ सौ पैंतीस रुपये मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः ग्राम पंचायत चौड़ा, पंचायत समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान में आवासीय भूमि पर स्थित संपत्ति जिसमें मिसल नंबर 61/1997, पट्टा नंबर 19, माप 1063.5 वर्ग फीट। सीमाएँः पूर्वः श्री कोजाराम पुत्र श्री अर्जुन राम बिश्नोई का घर; पश्चिमः सहीराम और अन्य की संपत्ति; उत्तरः महीराम पुत्र श्री मोतीराम का घर; दक्षिणः आम रास्ता। दिनांक 16.06.2020 को पुस्तक संख्या 01, खंड क्रमांक 99, पृष्ठ क्रमांक 26, क्र. नंबर 202003130101102 में पंजीकृत किया गया।

2.	**उधारकर्ताः** रामकिशन पुत्र भूरा राम, **सह–उधारकर्ताः** पापुड़ी पत्नी रामकिशन, **सभी निवासीः** ज्याणियों की ढाणी, बासनी जसनगर, खारिया, पालरी सिधान, जोधपुर, भोपालगढ़, राजस्थान – 342601, **ऋण खाता संख्याः** LAJDP1021–00003716	25.04.2026 08.07.2026 (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)	09.05.2026 तक रु. 5,07,604.00/– (पांच लाख सात हजार छह सौ चार रुपये मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः–ग्राम पलाड़ी सीधा, ग्राम पंचायत पलाड़ी सीधा पंचायत समिति पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित, पट्टा नंबर 30, बुक नंबर 8, मिसल नंबर 30/2018–19 वाली संपत्ति, 1714.83 वर्ग फुट यानि यानी 190.53 वर्ग गज । सीमाएँः पूर्वः आम रास्ता और निकल; पश्चिमः हरलालराम पुत्र उगराम ज्याणी का घर; उत्तरः श्री पुसाराम पुत्र संग्रामराम ज्याणी का घर; दक्षिणः श्री पेमाराम पुत्र धोकलराम ज्याणी का घर। 23.07.2019 को पुस्तक संख्या 01, खंड में पंजीकृत 82, पृष्ठ क्रमांक 54, क्र. नंबर 201903130102264

3.	**उधारकर्ताः** राजविजय सिंह पुत्र भंवर सिंह, **सह–उधारकर्ताः** जसोदा देवी पत्नी राजविजय सिंह, **सभी निवासीः** ग्राम रूपारेल खरवा, तहसील मसूदा, अजमेर, राजस्थान – 305202 **ऋण खाता संख्याः** LAAJM0922–00005928	25.04.2026 08.07.2026 (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)	10.05.2026 तक रु. 2,13,293.00/– (दो लाख तेरह हज़ार दो सौ तिरानवे रुपये मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः– संपत्ति खसरा नंबर 3636/1/1, प्लॉट नंबर 31, माप 6 बिस्वा 19 बिस्वांसी, कुल क्षेत्रफलः 204.75 वर्ग फुट, ग्राम रानी सागर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित है। सीमाएंः पूर्वः प्लॉट नंबर 30; पश्चिमः किसी और का प्लॉट; उत्तरः 60 फुट चौड़ा रास्ता; दक्षिणः किसी और का प्लॉट। 12.03.2008 को बुक नंबर 01, वॉल्यूम नंबर 40, सीरियल नंबर 309, पेज नंबर 30 में पंजीकृत।

4.	**उधारकर्ताः** दिलीप कुमार दाधीच (पिताः मदन लाल दाधीच), **सह–उधारकर्ताः** भाग्य श्री (दिलीप कुमार दाधीच के साथ), **सभी निवासीः** जोधपुर बोरुंडा, शिव मंदिर के पास, राजस्थान – 342604, **ऋण खाता संख्याः** LABRD0223–00007132	25.04.2026 08.07.2026 (सांकेतिक कब्ज़ा)	09.05.2026 तक 8,00,884.00/–रुपये (आठ लाख आठ सौ चौरासी रुपये मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः– प्लॉट नंबर 211, प्रेम नगर, खसरा नंबर 112/3, माप 1250 वर्ग फुट, ग्राम बोरुंडा, बिलारा, जिला जोधपुर, राजस्थान में स्थित संपत्ति। सीमाएंः पूर्वः प्लॉट नंबर 210; पश्चिमः प्लॉट नंबर 212; उत्तरः निकास और रास्ता; दक्षिणः घासीराम का कृषि प्लॉट। 23.03.2009 को बुक नंबर 01, वॉल्यूम नंबर 273, पेज नंबर 2, सीरियल नंबर 2009000988 पर रजिस्टर किया गया।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 14.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी , सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

डीसीबी बैंक लिमिटेड, DCB BANK
कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013, महाराष्ट्र
क्षेत्रीय कार्यालयः ए–सेट हाउस, 7/56, डी.बी.गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005
परिशिष्ट IV–ए
अचल संपत्तियों की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(5) के प्रावधान के अंतर्गत ई–नीलामी/बिक्री सूचना।
आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता और गारंटर (यदि कोई हो तो उनके कानूनी वारिसों सहित) को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई/बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियों, जिसका डीसीबी बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा ले लिया गया है, को ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है वैसा ही'', ''जो कुछ भी है'' और ''कोई सहारा नहीं'' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। निम्न दिए गए विवरण के अनुसार, संपत्ति की बिक्री से बकाया राशि और उस पर लगने वाले ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली की जाएगीः–

क्रं. सं.	ऋणकर्ता और गारंटरों का नाम	1. आरक्षित मूल्य /2. बयाना राशि (ईएमडी) / 3. बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि	कब्जे का प्रकार	देय राशि
1.	**आशीष अग्रवाल और श्रीमती रितु**	1. रु.2000000/–(रुपये बीस लाख मात्र), 2.रु.200000/– (रुपये दो लाख मात्र), 3.रु.25,000/– (रुपये पच्चीस हज़ार मात्र)	**08–08–2026 और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक**	**भौतिक**	रु.4484476.57/– (रुपये चौवालीस लाख चौरासी हज़ार चार सौ छिहत्तर और पैसे सत्तावन मात्र) कानूनी विवाद का विवरणः लागू नहीं

बंधक संपत्ति का विवरणः सत्संग विहार, पालम विहार के पास, गुरुद्वारा, अंबाला, हरियाणा–133001 पर स्थित, प्रॉपर्टी आईडी सं. 56ब111ग93, खसरा नंबर 9//15/1, खेवट नंबर 1190, खतौनी नंबर 1499 पर घर ।

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय 03–08–2026 शाम 6.00 बजे तक या पहले, इसके साथ सहभागिता का अनुरोध पत्र, केवाईसी, पैन कार्ड और ईएमडी का प्रमाण ईमेल आईडी **nikunj.mathur@dcb.bank.in